



● बीआरकेजीबी ज्वाइन्ट लाईबिलिटी ग्रुप्स को योजना

1.	उद्देश्य	किरायेदार काश्तकार, मौखिक पट्टेदारी, बँटाईदार काश्तकार एवं लघु- कृषक जिनके पास उनकी भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनका ज्वाइन्ट लाईबिलिटी ग्रुप्स बनाकर वित्तपोषण करना।
2.	ऋण सीमा	ऋण सीमा प्रति सदस्य अधिकतम ₹50000/- की होगी।
3.	ब्याज दर	स्वयं सहायता समूह ऋणों के लिए, समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों के अनुसार
4.	अंशदान	JLG समूह द्वारा ₹50000/- से अधिक की राशि के ऋण लिये जाने पर बैंक नियमानुसार।
5.	प्रतिभूति:	समूह के सदस्यों की पारस्परिक जमानत प्राप्त की जायेगी। (Inter- se document)